न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री महेन्द्र लोढ़ा

अपील संख्या– 39/18 तारीख रज्जू–16/03/18

1. देवेन्द्रा पुत्री सोभाग्य कुमारी पत्नी स्व0 विक्रम सिंह राठोड़ उम्र 56 वर्ष निवासी गोविन्द निवास कोठी नं0 38 सिविल लाइन्स बीकानेर।
2. शैलेन्द्रा पुत्री सोभाग्य कुमारी पत्नी श्री बलवीर सिंह उम्र 52 वर्ष निवासी हाउस नं0 4 डी 108, जयनारायण व्यास कालोनी बीकानेर।
3. इन्द्रा पुत्र सोभाग्य कुमारी पत्नी मनीष सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी सिरसी रोड वैशाली नगर जयपुर।
4. चित्रा पुत्री सोभाग्य कुमारी पत्नी रवीन्द्र सिंह राठोड़ उम्र 46 वर्ष निवासी धनसर हाउस, छोटी गिनामी बीकानेर।

———अपीलान्ट्स

बनाम

1. वीरेन्द्र सिंह राणावत पुत्र स्व0 श्री विष्णु सिंह जी जाति राजपूत उम्र 78 वर्ष निवासी जे–116, सुशान्त सिटी प्रथम, कालवाड़ रोड, माचवा, जयपुर।
2. योगेन्द्र सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह राणावत उम्र 54 निवासी एफ–7 सुशान्त सिटी प्रथम, कालवाड़ रोड, माचवा, जयपुर।
3. हेमेन्द्र सिंह पुत्र वीरेन्द्र सिंह राणावत उम्र 45 वर्ष निवासी जे–116, सुशान्त सिटी प्रथम, कालवाड़ रोड, माचवा, जयपुर।
4. तहसीलदार, (सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी) चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर।

———रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांक– 29.8.19

अपीलान्ट ने यह अपील ग्राम एकडा के नामान्तकरण संख्या 32 में पारित निर्णय दिनांक 24/04/97 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। उक्त नामान्तकरण द्वारा तहसीलदार (सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी) चौथ का बरवाड़ा द्वारा अपीलान्ट 1 लगायत 4 तथा रेस्पोंडेन्टस् 2 लगायत 3 की मां तथा रेस्पों सं0 1 की पत्नि की ग्राम एकड़ा में स्थित खातेदारी भूमि का अपीलान्ट 1 लगायत 4 तथा रेस्पोंडेन्टस् 2 लगायत 3 की मां तथा रेस्पों सं0 1 की पत्नि की फोत हो जाने पर नामान्तकरण खोला गया है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 32 में पारित निर्णय दिनांक 24/04/97 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी हेतु प्रकाशन दैनिक नवज्योति जयपुर में कराया गया था। किन्तु रेस्पों सं0 1 लगायत 3 उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी एवं रेस्पों सं0 4 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तकरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2, 3 सगे भाई बहन है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 1 उनके पिता है।अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2, 3 की माता सोभाग्य कुमारी उर्फ सौभाग्य कुमारी पत्नि वीरेन्द्र सिंह की मृत्यु दिनांक 31.7.92 को हो गई थी जिनके अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट नं0 2, 3 पुत्र एवं पुत्रीयां होने के नाते उत्तराधिकारी है।अपीलार्थीगण की माता सोभाग्य कुमारी का कब्जे काश्त की ग्राम ऐकड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा में काश्त आराजीयात खसरा नं0 410 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 411, 412 रकबा 13 बिस्वा, ख0नं0 415 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख0नं0 535 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं0 575 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 492 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 31 बीघा 8 बिस्वा था। अपीलार्थीगण की माता सोभाग्य कुमारी की मृत्यु के बाद अपीलार्थीगण के पिता रेस्पोडेन्ट नं0 1 ने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

साजकर स्वयं अकेले को सौभाग्य कुमारी का उत्तराधिकारी बताकर अपने नाम से यह विवादित नामान्तकरण भरवा दिया है।तत्कालीन भू प्रबन्धक अधिकारी अब सवाईमाधोपुर ने बिना जांच किये बिना ज्यूडिशियल माइन्ड अप्लाई किये नामान्तकरण संख्या 32 दिनांक 24.4.97 को तस्दीक किया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय के अर्न्तगत माता की वसीयत पर समान रूप से पुत्र व पुत्रीयॉ का हक निहित है, साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तकरण सं0 32 में पारित निर्णय दिनांक 24/04/97 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि नगर परिषद् द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर ही उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है, साथ ही नामान्तकरण सं0 32 में पारित निर्णय दिनांक 24/04/97 यथावत करने हेतु निवेदन किया है।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन करने पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अर्न्तगत माता की खातेदारी भूमि पर पुत्र व पुत्रीयों का समान रूप से हक निहित होता है तथा पेरोकार सरकार द्वारा उक्त नामान्तकरण नगर परिषद् द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर खोला जाना बताया गया है। लेकिन उभय पक्ष द्वारा नगर परिषद् द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं की है तथा अपीलान्ट 1 लगायत 4 अपने आप को सोभाग्य कुमारी की पुत्रीयॉ होना बता रही है। अतः ऐसी स्थिती में प्रकरण तहसीलदार (सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी) चौथ का बरवाड़ा को पुनः प्रति प्रेषित कर उभय पक्षों की सुनवाई कर नये सिरे से पुनःनिर्णय पारित करने हेतु लिखा जाना मेरे अभिमत में न्यायोचित होगा, जिससे उभय पक्ष को उचित व सही न्याय प्राप्त हो सके।

अतः मेरे अभिमत मैं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा नामान्तकरण संख्या 32 निर्णय दिनांक 24/04/97 वाके ग्राम एकड़ा निरस्त किया जाता है, साथ ही तहसीलदार (सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी) चौथ का बरबड़ा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्षों की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.8.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महेन्द्र लोढ़ा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर